

The Employee's Provident Fund Scheme 1952 (Paras 35 & 42) and The Employees' Pension Scheme, 1995 (Para 19) (Form 3A (Revised))

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (पैरा 35 एवं 42) और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 (पैरा 19)

(For unexempted establishment Only)

(प्रपत्र 3 A (संशोधित))

(केवल अछूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए)

CONTRIBUTION CARD FOR CURRENCY PERIOD FROM 1ST APRIL 200 TO 31 ST MARCH 200

1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2000 तक की चालू अवधि के लिए अंशदान कार्ड 1 Account No. लेखा संख्या 4 Name & Address of the Factory Establishment फ़ैक्ट्री/स्थापना का नाम व पता	2. Name/Surname (in block capitals) नाम/उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) 5. Statutory rate of Contribution अंशदान की सवैधानिक दर	3. Father's/Husband's Name पिता/पति का नाम 6. Voluntary higher rate of employee's Contribution if any कर्मचारी के अंशदान की स्वैच्छिक उच्चतर दर, यदि कोई हो
---	---	--

CONTRIBUTION अंशदान

Month माह	Worker's Share कर्मचारी का हिस्सा		Employer's Share नियोक्ता का हिस्सा		Refund of Adv. अग्रिम की वापसी	No. of days/period of non-contributing service (if any) अंशदान न करने की सेवा अवधि दिनों की संख्या (यदि कोई हो)	Remarks अभ्युक्ति
	Amount of wages मजदूरी की रकम	EPF क. भ. नि.	EPF difference between 12% & 8.33% (if any) कर्मचारी भविष्य निधि 12% और के 8.33% के बीच अन्तर (यदि कोई हो)	PENSION FUND Contribution 8.33% पेंशन निधि अंशदान			
1	2	3	4a	4b	5	6	7
March Paid in April अप्रैल							(a) Date of leaving service, if any (क) नौकरी छोड़ने की तिथि (यदि कोई हो)
May मई							
June जून							
July जुलाई							
August अगस्त							(b) Reason for leaving service, if any (क) नौकरी छोड़ने का कारण (यदि कोई हो)
Sept. सितम्बर							
Oct. अक्टूबर							
Nov. नवम्बर							
Dec. दिसम्बर							
Jan. जनवरी							
Feb. फरवरी							
Feb. Paid in March मार्च							
Total जोड़							

Certified that the total amount of contributions (both shares) indicated in this Card i.e. Rs.....has already been remitted in full in EPF A/c. No. 1 and Pension Fund A/c No. 10.....(Vide note below.)

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्ड में निर्दिष्ट अंशदान की कुल राशि (दोनों अंश) अर्थात् रूपये..... पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 और पेंशन निधि लेखा सं 10.....में जमा कर दिए गए हैं (नीचे टिप्पणी देखें)

Certified that the difference between the total of the contribution shown under Cols. 3 & 4a & 4b of the above table and that arrived at on the total wages shown in column 2 at the prescribed rate is solely due to rounding off of contributions to the nearest rupee under the rules.

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त तालिका के कालम 3 और 4 क एवं 4ख के अधीन दर्शाये गये अंशदान और कालम 2 में दर्शायी गई कुल मजदूरी पर निर्धारण दर से निकाले गए अंशदान के बीच अन्तर नियमानुसार अंशदान से निकटतम रूपये में पूर्णांकित करने के कारण आया है।

Date दिनांक.....2000

नियोक्ता के हस्ताक्षर
कार्यालय की सील सहित
Signature of employer
with office seal

Note (1) In respect of the form 3A sent to the Regional Office during the course of the currency period for the purpose of final settlement of the accounts of the member who has left service. details of date & reasons for leaving service should be furnished under Col. 7 (a) & (b).

चालू अवधि के दौरान नौकरी छोड़ने वाले सदस्यों के अन्तिम निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने वाले प्रपत्र 3ए के कालम 7 (क) और (ख) के अधीन नौकरी छोड़ने की तिथि और नौकरी छोड़ने का कारण भरा जाए।

(2) In respect of those who are not members of the Pension Fund the employers share of contribution to the EPF will be 10% or 12% as the case may be & is to be shown

Under column 4 (a) कर्मचारी पेंशन निधि के सदस्य नहीं हैं उनके कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की दर 10% अथवा 12% जो भी हो कालम 4 (क) के अधीन दर्शायी जाएगी।